नम्बर व तारीख ... अहकाम जो इस ... की तारीख में जारी ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 86 / 2019 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. घीसालाल पुत्र सुण्डाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 7 लोसल बाजिया की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री अनील शर्मा वकील वादी की ओर से।

नि र्ण य **दिनांक -- 31.12.2020**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1191, 1199, 1200, 1201, 1241, 1242 किता 6 कुल रकबा 0.98 है0 व भूमि खसरा नम्बर 1177 लगायत 1181, 1194, 1195, 1196 किता 8 कुल रकबा 5.89 है0 वाके ग्राम लोसल पटवार हल्का लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। वादी उपने उपरोक्त हिस्से पर काबीज होकर खातेदारी अनुसार अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहा है जिसमें राजस्व रिकार्ड जमाबंदी तथा राजस्व रिकार्ड जामबंदी में वादी का हिस्सा जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज था लेकिन रेवन्यू अधिकारियों कि भूलवश / त्रुटिवश वादी का नाम घीसा लाल की जगह घासीलाल के नाम से अंकन हो गया व उक्त गलत अंकन की वजह से प्रार्थी राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ व सबसिडियां प्राप्त नहीं कर सकता। जिससे आवेदक को साम्पतिक अधिकारों का नुकसान होता है व राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं से वंचित होना पड़ता है। वादी की अपने उक्त हिस्से की कृषि भूमि पर से गलत अंकन नाम घासीलाल की जगह रिकार्ड दुरूस्ती के द्वारा घीसालाल अंकित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वादी द्वारा दिनांक 15.07.2019 को अपने वर्तमान रिकार्ड जमाबन्दी की नकल प्रति

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

निकलवाये जाने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम घीसालाल की जगह घासीलाल का अंकन है इसलिए वाद कारण पैदा होकर रिकार्ड दुरूस्ती का दावा लाया जाना लाजिम हुआ है। जो संशोधन किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1191, 1199, 1200, 1201, 1241, 1242 किता 6 कुल रकबा 0.98 है0 व भूमि खसरा नम्बर 1177 लगायत 1181, 1194, 1195, 1196 किता 8 कुल रकबा 5.89 है0 वाके ग्राम लोसल पटवार हल्का लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम घासी लाल के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम घीसा लाल दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम घासी लाल के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम घीसा लाल दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम लोसल की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता सं0 144 खसरा नम्बर 1177 लगायत 1181, 1194, 1195, 1196 किता 8 कुल रकबा 5.89 है0 में घासी पुत्र सुण्डा हिस्सा 1/3 राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा लोसल दर्ज है एवम् खाता संख्या 309 खसरा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

नम्बर 1191, 1199, 1200, 1201, 1241, 1242 किता 6 कुल रकबा 0.98 है0 में घासी पुत्र सुण्डा हिस्सा 1/15 जाति जाट सा0 देह के नाम दर्ज है। जबकि प्रार्थी घीसालाल के पिता के विरासत के नाम0 संख्या 290 में प्रार्थी का नाम घासी पुत्र सुण्डा दर्ज है जो आज वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 में चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड स्वीकृत होने से आज दिनांक तक घासी पुत्र सुण्डा ही चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम घीसालाल पुत्र सुण्डाराम है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर** 1191, 1199, 1200, 1201, 1241, 1242 किता 6 कुल रकबा 0.98 है0 व भूमि खसरा नम्बर 1177 लगायत 1181, 1194, 1195, 1196 किता 8 कुल रकबा 5.89 है0 वाके ग्राम लोसल पटवार हल्का लोसल तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादी का नाम घासी के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम घीसालाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ